

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: 4156 / उ०ख० / भू०खनि०नि० / वि०निवि०परि० / 2023-24,

दिनांक 07 नवम्बर, 2023

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977 / VII-A-1 / 2023-24ख / 2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563 / र०ख०ला० / ई०नी० / वि०का०ज्ञ० / भू०खनि०नि० / 2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 2748 / CHMP_003 / भू०खनि०नि० / ई०नीला० / 2023-24, दिनांक 29.08.2023 के द्वारा जनपद चम्पावत की तहसील चम्पावत के ग्राम दियूरी-1, लधिया नदी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 4546 से 4550 कुल रकवा 3.051 है० मध्ये 1.750 है० उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 78750 टन एवं आधार मूल्य रू० 55,12,500.00 निर्धारित करते हुए नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है० से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी / निवासियों की समितियों / फर्म / कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में उक्त लॉट की तकनीकी निविदा दिनांक 21.09.2023 (गुरुवार) को खोली गयी, जिसमें 01 बिड प्राप्त होने तथा तकनीकी निविदा में ऑनलाईन न्यूनतम 03 निविदा प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश संख्या 3307 / उ०ख० / भू०खनि०नि० / ई-निविदा तकनी०नि० / 2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

उक्त लॉट की निविदा आमंत्रण संख्या 3581 / CHMP_003 / भू०खनि०नि० / ई०नीला० / 2023-24, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 17.10.2023 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी। निविदा समिति की संस्तुति दिनांक 17.10.2023 (मंगलवार) के अनुसार जनपद चम्पावत की तहसील चम्पावत के ग्राम दियूरी-1, लधिया नदी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 4546 से 4550 कुल रकवा 3.051 है० मध्ये 1.750 है० उपखनिज क्षेत्र में दिनांक 17.10.2023 (मंगलवार) को तकनीकी निविदा खोली गयी, जिसका परिणाम दिनांक 01.11.2023 को घोषित किया गया।

निदेशालय के पत्र संख्या 3899 / उ०ख० / भू०खनि०नि० / ई-निविदा तकनी०नि० / 2023-24, दिनांक 31.10.2023 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 17.10.2023 के अनुसार जनपद चम्पावत की तहसील चम्पावत के ग्राम दियूरी-1, लधिया नदी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 4546 से 4550 कुल रकवा 3.051 है० मध्ये 1.750 है० उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदादाता को सफल घोषित किया गया :-

क्र०सं०	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	श्री सूरज शर्मा	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
2	श्री प्रवीन सिंह	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई-निविदा सह ई-नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 01.11.2023 (बुधवार) समय पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :-


क्र० सं०	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली धनराशि (रू० में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 एवं H2 परिणाम (रू० में)
1	2	3	4
1.	श्री सूरज शर्मा	56,60,789.00	H1
2.	श्री प्रवीन सिंह	56,10,999.00	H2

उपरोक्तानुसार ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों / बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकारों / बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमांक 01 पर वर्णित बोलीदाता श्री सूरज शर्मा को H1, क्रमांक 02 पर वर्णित बोलीदाता श्री प्रवीन सिंह को H2 बोलीदाता घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच-1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0-1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध नियम-23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-2 बोलीदाता को एच-1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया एच-3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में ई-नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री सूरज शर्मा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, निवासी- ग्राम अमोड़ी, तहसील व जनपद चम्पावत H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 56,60,789.00 (रू0 छप्पन लाख साठ हजार सात सौ नवासी मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 14,15,197.00 (रू0 चौदह लाख पन्द्रह हजार एक सौ सतानबे मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 55,12,500.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 13,78,125.00 की धनराशि अर्नेस्ट मनी के सापेक्ष पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 692100DP00018153, दिनांक 19.09.2023, रू0 15,31,500.00 (रू0 पन्द्रह लाख इकतीस हजार पांच सौ मात्र) के द्वारा निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 14,15,197.00 - 15,31,500.00 = +1,16,303.00) रू0 + 1,16,303.00 (रू0 एक लाख तिरपन हजार तीन सौ पिचहत्तर मात्र) अधिक है, उक्त अधिक जमा की गयी धनराशि वापस किया जाना है, तो उच्चतम बोली रू0 56,60,789.00 की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 14,15,197.00 के समतुल्य धनराशि नवीन एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जानी होगी, के जमा किये जाने पर पूर्व जमा एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को खनन पट्टा स्वीकृति के उपरान्त पट्टाधनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।


अतः H1 बोलीदाता श्री सूरज शर्मा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, निवासी- ग्राम अमोड़ी, तहसील व जनपद चम्पावत को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत अपनी सहमति इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि तदनुसार नियमावली के नियम 25 (2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए अनुक्रमानुसार एच-2 को एच-1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।


(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्या: 4156/उ0ख0/भू0खनि0नि0/वि0निवि0परि0/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।
3. उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद चम्पावत।
4. एच-1 बोलीदाता श्री सूरज शर्मा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, निवासी- ग्राम अमोड़ी, तहसील व जनपद चम्पावत।


(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक